भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3667

जिसका उत्तर 24.03.2022 को दिया जाना है

एक्सप्रेस-वे पर सड़क दुर्घटनाएं

3667. श्री राजकुमार चाहर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा निर्मित/प्रबंधित/नियंत्रित एक्सप्रेस-वे का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त एक्सप्रेस-वे पर कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाएं काफी घातक होती हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या ऐसे एक्सप्रेस-वे तें तेज गति से वाहन चलाने को रोकने के लिए नंबर प्लेट रीडर और स्पीड कैमरों की सुविधा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या एक्सप्रेस-वे पर कुशल यातायात प्रबंधन को रियायत समझौतों/विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) 03 एक्सप्रेसवे नामत: अहमदाबाद-वडोदरा, ईस्टर्न पेरीपेरल और दिल्ली-मेरठ का काम पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में निम्नलिखित एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है:

क्र.स.	गलियारे का नाम	लंबाई (किमी में)
1	दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस	1,382
1.क	दिल्ली वडोदरा	845
1.ख	वडोदरा मुंबई	446
1.ग	दिल्ली - फरीदाबाद - सोहना	90
2	अहमदाबाद - धोलेरा	109

3	बेंगलुरु - चेन्नई	262
4	दिल्ली - अमृतसर - कटरा	669
5	कानपुर - लखनऊ एक्सप्रेस	63
	कुल	2,485

29 किमी के द्वारका एक्सप्रेसवे (एनएच-248बीबी) नामक एक अन्य परियोजना को भी शुरू कर दिया गया है।

(ख) से (ड.) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में 2018 से 2020 पिछले तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं और मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए है:

वर्ष	सड़क दुर्घटना	मारे गए व्यक्ति
2018	1,40,843	54,046
2019	1,37,191	53,872
2020	1,16,496	47,984

उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली रियायत समझौते का एक अभिन्न अंग है और उसमें हाल में उन्नत प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान जैसे घटना का पता लगाने वाले स्मार्ट कैमरे, आपातकालीन टेलीफोन बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे को शामिल करने के लिए संशोधन किए गए है ताकि यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ सुरक्षा के लिए निगरानी नेटवर्क में सुधार किया जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधाओं का विकास कर रहा है ताकि चिकित्सा सेवाओं को शामिल किया जा सके और साथ ही चिकित्सा आपात स्थिति के मामले में आपातकालीन निकासी के लिए हेलीपैड की भी योजना है।

****